महोदय, इस स्कूल के निर्माण के लिए भोपाल प्रशासन ने एक एकड़ भूमि निहायत कम दरों पर उपलब्ध कराई थी इस स्कूल में प्रवेश के लिए ईसाई बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है और जो उनकी सीटें बच जाती हैं उनके लिए जो परीक्षा का प्रावधान है उसमें ही बच्चे उत्तीर्ण होते हैं जिनके अभिभावक उच्च पदों पर हैं।

महोदय, इस विद्यालय में प्रतिदिन भगवान ईसा मसीह की प्रार्थना होती है, राष्ट्रगान नहीं होता है। पिछले काफी समय से इस स्कूल के कुछ बच्चे राष्ट्रगान को प्रार्थना के रूप में लिए जाने के लिए स्कूल के संचालकों से निवेदन कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। अभी 22 जुलाई को इस स्कूल के छात्रों ने प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना के बाद सम्मान सहित राष्ट्रगान गाया। इससे बौखलाकर प्रबंधकों ने राष्ट्रगान गाने वाले तीन प्रमुख छात्रों शफी खान, कपिल चड्ढा और नवीन इकबाल को जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं, स्कूल से निष्कासित कर दिया है। इससे भोपाल के छात्रों में भारी असंतोष है। इन छात्रों ने स्कूल के समक्ष धरना दिया है, जलूस निकाले हैं, प्राचार्य के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। भोपाल के जिलाधीश को उन्होंने ज्ञापन दिया है। भोपाल नगर की स्थिति इस घटना से ज्यादा बिगड़ न पाए, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार तत्काल ऐसे कदम उठाए ताकि इस स्कूल में फिर इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो और सम्मान के साथ प्रार्थना के साथ-साथ राष्ट्रगान को भी स्वीकार किया जाए। इसके साथ ही कैथियन स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ और वहां के मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।

धन्यवाद।

STATEMENT BY MINISTER

Circumtances which necessitated immediate promulgation of the consumer Protection (Amendment) Ordinance, 1993.

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI A. K. ANTONY): Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement explaining the reasons for promulgating the Consumer Protection (Amendment) Ordinance, 1993.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1993.

II. THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 1993.

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 18 जून, 1993 को प्रख्यापित उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्यांक 24) का निरनुमोदन करती है।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को इसी विषय तक सीमित रखूंगा। मैं इस अध्यादेश को निरस्त करने के लिए अपनी बात कहूंगा क्योंकि मेरी पार्टी की तरफ से मेरे साथी इस बिल के संबंध में विस्तार से बोलने वाले हैं। दो बातें कहनी हैं। एक तो जो यह परम्परा है कि हम विधेयक सदन में लाने के बजाय पहले अध्यादेश से उसको लागू करते हैं और फिर सदन के सामने एक विधेयक के रूप में रखते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह विधेयक पिछले सत्र यानी बजट सत्र में पारित हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, समय नहीं मिला। एक महीने पहले ही जब